



UPSI010079172023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर।

सत्र परीक्षण संख्या-1684/2023

सरकार

बनाम

हरिशंकर।

परिवाद संख्या-7978/2017

धारा-452, 376/511 भा०द०सं०

थाना-पिंसावा, जिला- सीतापुर।

आरोप

मैं सुरेन्द्र प्रताप यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर एतद्द्वारा आप अभियुक्त हरिशंकर को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 01.05.2015 को समय करीब रात के 08.30 बजे, स्थान बहद ग्राम ढफरापुर, थाना पिंसावा, जिला सीतापुर में आपने जब पीड़िता अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, नशे में धुत होकर छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से उसके आवास में अनाधिकृत रूप में प्रवेश किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके सारे कपड़े खींचकर, फाड़कर तथा उतार कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 सपठित धारा 511 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और मैं एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप में आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक-24.11.2023

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०)

सीतापुर।

J O Code: UP1668

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

दिनांक-24.11.2023

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०)

सीतापुर।

J O Code: UP1668